

mail

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा


क्रमांक: न्याय/कोरोना/2020/ 22553

दिनांक 09 अप्रैल, 2020

:: आदेश ::


भीलवाड़ा जिले में नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने एवं संक्रमण फैलने की सम्भावना के मध्यनजर नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से कार्यालय स्तर से वृहद स्तर पर दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके हैं, साथ ही भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला मुख्यालय के साथ-साथ जिले के कुछ उपखण्ड क्षेत्रों में सख्त निषेधाज्ञा एवं जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र (शहरी एवं ग्रामीण) में निषेधाज्ञा लागू की जा चुकी हैं।

इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 03 अप्रैल 2020 से 13 अप्रैल 2020 तक जिले में लागू निषेधाज्ञा के संदर्भ में समस्त बैंक शाखाएं यथावत संचालित रहेगी एवं बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने निवास स्थान से कार्यस्थल (बैंक शाखाओं) तक पहुंचने हेतु बैंक द्वारा जारी परिचय पत्र अधिकृत/मान्य होंगे।


(राजेन्द्र भट्ट)
जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

01. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
02. अति० मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज०, जयपुर
03. अति० मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान-जयपुर
04. संभागीय आयुक्त, अजमेर
05. महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, अजमेर
06. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान
07. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश समस्त पुलिस अधिकारियों को पालना सुनिश्चित करने हेतु भेजा जावे।
08. अति० जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन/शहर) भीलवाड़ा
09. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि इस संबंध में राज्य सरकार से जारी एडवाईजरी अनुसार उक्त प्रदत्त छूट के क्रम में संस्थान एवं उसमें कार्यरत कर्मचारियों की समुचित निगरानी रखने हेतु प्रेषित है।
11. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
12. समस्त उप पुलिस अधीक्षक, जिला भीलवाड़ा
13. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, जिला भीलवाड़ा को आदेश की पालना सुनिश्चित करने हेतु।
14. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
15. समस्त विकास अधिकारी पंचायत समिति, जिला भीलवाड़ा
16. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, भीलवाड़ा।
17. आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाड़ा/समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जिला भीलवाड़ा
18. अति० निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
19. एल०डी०एम० भीलवाड़ा
20. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक/समस्त उपखण्ड/समस्त तहसील


जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा